कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1615/2021 मो. अनीश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय उर्दू में चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थी को वरीयतानुसार चूरू मण्डल आवंटित कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी बस्ती, सुजानगढ़, जिला–चूरू में पदस्थापित किया गया तत्पश्चात इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13088/20 दिनांक 13.01.2021 द्वारा याचिकार्थी के समान वर्ग के अन्य अभ्यर्थी को चूरू मण्डल आवंटित किये जाने के कारण याचिकार्थी को पूर्व आवंटित चूरू मण्डल के स्थान पर अजमेर मण्डल आवंटित कर दिया गया। याचिकार्थी के कथनानुसार वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय उर्दू में विभाग द्वारा कुल 20 अभ्यर्थियों को चूरू मण्डल आवंटित किया गया, जिसके क्रम में संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू द्वारा कुल 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई तथा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त 20 अभ्यर्थियों में से याचिकार्थी के समान वर्ग के वरीयता क्रमांक 09 के अभ्यर्थी श्री मोहम्मद रफीक द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण चूरू मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) का एक पद रिक्त रह गया है एवं वर्तमान में चूरू मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के कुल 08 पद स्पष्ट रूप से रिक्त है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर पूर्व आवंटित चूरू मण्डल में ही यथावत रखने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार ''सम्भागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस सम्भाग को आवंटित किए जावें। वरिष्ठ अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना सम्भागवार ही की जाती है अतः सम्भाग में वर्गवार (अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणियां यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, स्वयं के वर्ग, मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प पत्र में अंकित सम्भाग की प्राथमिकता के अनुसार सम्भाग आवंटन किया जावें," के निर्देश दिए गए थे।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय उर्दू हेतु कुल विज्ञापित 118 पदों में से चूरू संभाग हेतु कुल 20 पद निर्धारित किये गये हैं जिनमें से भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लिए 02 पद आरक्षित किए गए। उक्त विज्ञापित 20 पदों के विरूद्ध 20 अभ्यर्थियों को चूरू मण्डल आवंटित किया गया, किन्तु भूतवपूर्व सैनिक वर्ग में केवल 01 अभ्यर्थी को ही चूरू मण्डल आवंटित किया गया। विभागीय नियमानुसार OBCM के भूतपूर्व सैनिक चयन वर्ग में वरीयता क्रमांक 116 पर चयनित अभ्यर्थी ताज मोहम्मद को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार प्रथम प्राथमिकता पर अंकित चूरू मण्डल आवंटित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु सहवन से द्वितीय प्राथमिकता पर अंकित अजमेर मण्डल आवंटित कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अभ्यर्थी ताज मोहम्मद द्वारा माननीय न्यायालय में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9721/2020 ताज मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2020 की पालना में अभ्यर्थी ताज मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए विभाग द्वारा आदेश दिनांक 13.01.2021 द्वारा अभ्यर्थी ताज मोहम्मद को द्वितीय प्राथमिकता पर अंकित अजमेर मण्डल के स्थान पर प्रथम प्राथमिकता पर अंकित चूरू मण्डल आवंटित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2020 की पालना में अभ्यर्थी ताज मोहम्मद को चूरू मण्डल आवंटित किये जाने के कारण चूरू संभाग हेतु विज्ञापित कुल 20 पदों के विरूद्ध 21 अभ्यर्थी आवंटित होने के कारण अभ्यर्थी ताज मोहम्मद के वर्ग OBCM में चूरू मण्डल में आवंटित अन्तिम अभ्यर्थी मोहम्मद अनीश को उसके विकल्प पत्र में द्वितीय प्राथमिकता पर अंकित अजमेर मण्डल आवंटित किया गया।

वर्तमान में याचिकार्थी मोहम्मद अनीश के विकल्प पत्र में प्रथम प्राथमिकता पर अंकित चूरू मण्डल में याचिकार्थी के वर्ग OBCM एवं चयन वर्ग GENM में अन्तिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक 31 रहा है, जबकि याचिकार्थी का वरीयता क्रमांक 38 है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 विषय उर्दू में याचिकार्थी के वर्ग OBCM एवं चयन वर्ग GENM में याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्रथम प्राथमिकता पर अंकित चूरू मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

याचिकार्थी द्वारा समान वर्ग के वरीयता क्रमांक 09 के अभ्यर्थी श्री मोहम्मद रफीक द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण चूरू मण्डल को आवंटित 20 अभ्यर्थियों में से 19 अभ्यर्थियों द्वारा ही कार्यग्रहण करने के कारण याचिकार्थी के समान वर्ग का वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) का एक पद रिक्त रहने के आधार पर पूर्व आवंटित चूरू मण्डल में ही यथावत रखने की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी श्री मोहम्मद रफीक (वरीयता क्रमांक 09) तथा याचिकार्थी दोनों का ही वर्ग OBCM एवं चयन वर्ग GENM है परन्तु अभ्यर्थी मोहम्मद रफीक को वरीयतानुसार चयन वर्ग GENM की रिक्तियों के विरूद्ध चूरू मण्डल आवंटित किया गया है एवं याचिकार्थी को चयन वर्ग OBCM की रिक्तियों के विरूद्ध वरीयतानुसार चूरू मण्डल आवंटित किया गया। अतः चयन वर्ग OBCM की रिक्तियों के विरूद्ध वरीयतानुसार चूरू मण्डल आवंटित याचिकार्थी की तुलना चयन वर्ग GENM की रिक्तियों के विरूद्ध वरीयतानुसार चूरू मण्डल आवंटित एवं कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी से नहीं की जा सकती है। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 में आवंटित मण्डल में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में पूर्व आवंटित अभ्यर्थियों का मण्डल परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान अंकित नहीं है।

वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के वर्तमान में पद रिक्त होने के आधार पर आवंटन की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते है, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है। इस प्रकार मण्डल आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी मण्डल या जिले में रिक्त पद के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं।

अतः याचिकार्थी द्वारा पूर्व आवंटित चूरू मण्डल में ही यथावत रखने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12803/2021 दिनांकः– 25.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू

2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
5. याचिकार्थी मो. अनीश पुत्र श्री अनवर अली, वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू), राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी बस्ती, सुजानगढ़, जिला–चूरू **(रजिस्टर्ड)**
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)